उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

संख्या-14/2015/379/92-1-2015-54जॉच/2013,

दिनांक: लखनऊ: 13 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-आगरा के ब्लाक खन्दौली के अन्तर्गत लोहिया ग्राम पैसई में नाली व खडन्जा निर्माण कार्य में अधोमानक निर्माण सामग्री का प्रयोग किये जाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने आदि अनियमित कृत्यों/अपकृत्यों, कारित गम्भीर दुराचरण एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 के अनुसार शासकीय कृत्यों के प्रति सत्यनिष्ठ न होने तथा सरकार की नीतियों की अवज्ञा करने आदि के दृष्टिगत श्री महेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-29वीआईपी/92-2013-54जॉच/2013, दिनांक 13-5-2013 द्वारा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये मुख्य अभियन्ता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। पुनश्च कार्यालय-ज्ञाप संख्या-203सीएम/92-2013-54जॉच/2013, दिनांक 22-5-2013 द्वारा श्री महेश्वर सिंह का निलम्बन समाप्त करते हुये उन्हें सेवा में इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी।

2- श्री महेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही हेतु शासन के पत्र सं0-1939/ 92-2012-54जॉच/2013, दिनांक 27-5-2013 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से संगत साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-770/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0 कार्य0-647/13-14, दिनांक 12-8-2013 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण आरोप-पत्र गठित नहीं हो पा रहा है। उक्त के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-2931/92-2012-54जॉच/ 2013, दिनांक 09-9-2013 द्वारा श्री महेश्वर सिंह की पर्यवेक्षणीय शिथिलता, कार्यस्थल पर उपलब्ध ईंटों के सम्बन्ध में कार्य प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा प्रथमदृष्टया दी गयी रिपोर्ट को अन्तिम माना जाना तकनीकी दृष्टि से उचित न होने एवं कार्य स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री की क्वालिटी के स्तर आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये श्री महेश्वर सिंह के विरूद्ध संगत साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1596/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0कार्य0-647/13-14, दिनांक 19-12-2013 द्वारा श्री महेश्वर सिंह के विरूद्ध संगत साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त् के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-4566/92-2012-54जॉच/2013, दिनांक 21-01-2014 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पुन: निर्देशित किया गया कि जनपद-आगरा के ब्लाक खन्दौली के अन्तर्गत लोहिया ग्राम-पैसई में कराये गये नाली एवं खडन्जा निर्माण कार्य का मौका मुआयना करके निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गयी ईटों एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में अनुस्मरण पत्र संख्या-3482/92-2014-54जॉच/2013, दिनांक 01-8-2014 भी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

4- इस सम्बन्ध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1656/ग्रा0अ0वि0/ स्था0-1/647-अनु0कार्य0/2014-15, दिनांक 20-11-2014 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से आख्या प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्या के सम्यक् परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 24-4-2013 एवं कार्य समाप्त होने की तिथि 07-6-2013 थी। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, के पत्र दिनांक 12-8-2013 के साथ संलग्न अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के पत्र संख्या-639/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0कार्य0पत्रा0/ 2013-14, दिनांक 16-07-2013 से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कार्य दिनांक 03-5-2013 से दिनांक 06-5-2013 के मध्य प्रारम्भ कराया गया है। उक्त तथ्य को स्वीकार किये जाने पर भी कार्य प्रारम्भ किये जाने में मात्र एक सप्ताह का ही विलम्ब परिलक्षित होता है। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर की आख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रश्नगत कार्य की किये गये मौके मुआयने में प्रश्नगत निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली ईंटे एव अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया मानक के अनुरूप पायी गयी, जिसकी पुष्टि तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा की निरीक्षण आख्या दिनांक 10-5-2013 एवं सहायक अभियन्ता एवं प्रान्तीय खण्ड-लो0नि0वि0, आगरा की टेस्टिंग रिपोर्ट से होती है। श्री महेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा द्वारा दिनांक 06-5-2013 तक निर्माण कार्य पर ठेकेदार को कोई भुगतान भी नहीं किया गया था। उक्त के दृष्टिगत निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा भी श्री महेश्वर सिंह के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5- उपरोक्तानुसार किये गये परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में श्री महेश्वर सिंह पर जो आरोप अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित था, उनके सिद्ध होने की सम्भावना अत्यन्त क्षीण है। प्रकरण में प्रयुक्त सामग्री प्रथम दृष्टया मानक के अनुरूप पाये जाने तथा दिनांक 06-5-2013 तक श्री महेश्वर सिंह द्वारा ठेकेदार को प्रश्नगत कार्य पर कोई भुगतान न किये जाने से वित्तीय क्षति की स्थिति भी परिलक्षित नहीं हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-5-2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को प्रचलित रखने का औचित्य न पाते हुये, उक्त् अनुशासनिक कार्यवाही एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2015/379(1)/92-1-2015-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता, (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
5- श्री महेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्डफाइल/चरित्र पंजिका में रखने हेतु।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in